72

समक्ष—न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर म. प्र.

निग-1665-I-16

राजस्व रिवीजन क्रमांक /2016

मुहम्मद अकबर आत्मज मुहम्मद मुकीद जाति मुसलमान
निवासी रांकई तहसील करेली जिला नरसिंहपुर म.प्र. ...... आवेदक

बनाम

1:— सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत रातीकरार कलां
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर म.प्र.

2:— म० प्र० शासन

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959

आवेदक निम्नानुसार प्रार्थना करता है :—

1:— यह कि आवेदक के भूमि स्वामी हक की जमीन मौजा देवरी खुर्द नं.व. 253 तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में स्थित खसरा नबंर 83/10 रकवा 1.214 हेक्टेयर का मालिक काविजदार है एवं मौक पर आवेदक ने गेहू एवं धनिया की फसल बोई थी जिसके कटने के उपरांत गन्ने की फसल लगाई थी तथा मिसल बंदोवस्थ के नकलें में खसरा नबंर 83 बहोत बड़ा रकवा रहा है जिसके लगभग 10 बटांकन है एवं खसरा नबंर 83 के बीच से गोहा निकलता जरूर है परन्तु वह खसरा नबंर 83 के बीच में ही समाप्त हो जाता है तथा उसके पश्चात मात्र पगडंडी रास्ता ही आगे खसरा नबंर 68 में से उत्तरी दिशा को जाता है इस तरह आवेदक के वर्तमान खसरा नबंर 83/10 में कोई भी शासकीय गोहा निर्मित नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है बल्कि उसकी भूमि की पश्चिमी दिशा में गोहा लगा है ।

2:— यह कि अनोवदक सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत रातिकरार कलां के पंच मोहम्मद अमीम आत्मज सुलेमान है जिनके नाम से खसरा नबंर 83/8 रकवा 2.0004 हेक्टेयर एवं उनके परिवार में अन्य भाईयों के नाम जमीनें चली आ रही है जिसके द्वारा शासकीय गोहा पर अतिक्रमण किया गया है एवं शासकीय गोहा खसरा नबंर 90 के अतिक्रमण से बचने के लिए मोहम्मद अमीन ग्राम पंचायत के पंच द्वारा आवेदक के विरूद्व चुनावी रंजिश के कारण सरपंच /सचिव को बहला

NOTARY ... SHARMA ... JABALPUR

25 MAY 2016

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1665–एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा र्को आदि के हस्ताक्षर
14–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री बी0 एस0 साहू उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील करेली के में पारित आदेश दिनांक 07/01/16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी करेली जिला नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अनुविभागीय अधिकारी करेली जिला नरसिंहपुर**	